बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 2016

संख्या–2/आ0–70–01/2014 गृ0आ0 /श्री एस0एम0 वकील अहमद, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शिवहर सम्प्रति स्टाफ ऑफिसर बिहार मानवाधिकार आयोग, बिहार, पटना के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 16.01.2012 के विभिन्न कांडों में वांछित नक्सली एवं कुख्यात अपराधकर्मी संतोष झा को मोतिहारी पुलिस द्वारा रांची में गिरफ्तार किया गया था, उसके विरूद्ध मोतिहारी मुफसिल थाना कांड सं0–23/2012 दिनांक 17.01.2012 धारा–414, 419, 420, 467, 468, 471, 474 एवं 34 भा0द0वि0 लगाया गया था। उक्त अपराधकर्मी शिवहर जिले में श्यामपुर भटहाँ थाना कांड सं0–59/10 दिनांक 22.10.2010 धारा 353, 307, 427, 302, 120 बी0 34 भा0द0वि0 एवं 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट पिपराही थाना कांड सं0–28/11 दिनांक 29.03.11 धारा 147, 148, 149, 341, 342, 323, 307, 435, 427, 384 एवं 386 भा0द0वि0 27 आर्म्स एक्ट/3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा 17 सी0एल0ए0 एक्ट तथा पुरनहिया थाना कांड सं0–93/11 दिनांक 24.11.2011 धारा–452, 302, 307, 324, 326 एवं 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के वांछित अभियुक्त थे। उक्त आरोपों में अनुसंधानकर्त्ता द्वारा मात्र न्यायालय में **Production Warrant** हेतु अनुरोध पत्र दाखिल कर अपने कर्त्तव्यों का इतिश्री समझ लिया गया जिसका लाभ अपराधकर्मी संतोष झा को मिला तथा वे जमानत पर छुट गया। उन्हें न्यायालय से **Production Warrant** प्राप्त कर मोतिहारी न्यायालय में कांड के अभिलेख में संलग्न करना चाहिए था जो नहीं किया गया यह पर्यवेक्षक पदाधिकारी श्री एस0एम0 वकील अहमद, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की घोर लापरवाही का प्रतीक है। इसके लिए वे दोषी हैं।

2. गृह (आरक्षी) विभाग के ज्ञापन–6734 दिनांक 12.08.2014 द्वारा श्री अहमद को यह निदेश दिया गया कि अपने बचाव में लिखित बयान प्रस्तुत करें।

3. श्री अहमद द्वारा समर्पित लिखित बचाव बयान के समीक्षोपरांत सरकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

4. श्री अहमद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु विभागीय जांच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित पुलिस अधीक्षक से अन्यून स्तर के किसी पदाधिकारी को नियुक्त करेंगे। श्री अहमद से अपेक्षा की जाती है कि वे विभागीय जांच आयुक्त बिहार, पटना के कार्यालय में इस संकल्प की प्राप्ति की तिथि से 10 (दस) दिनों के अंदर संचालन पदाधिकारी के द्वारा निदेशित तिथि को स्वयं उपस्थित हो।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक–एक प्रति विभागीय जांच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी तथा एक प्रति प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी हेतु पुलिस महानिदेशक को आरोप पत्र एवं बयाव अभिकथन (साक्ष्य सहित) की प्रति के साथ अपेक्षित कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(देव नारायण मंडल)
सरकार के संयुक्त सचिव।